समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Monday, 21 September 2026

“पीएम और सीएम को हटाने वाले बिल पर विपक्ष नाराज, टीएमसी ने जताया जेपीसी पर भरोसा न होने का आरोप”

Publisher Published on 29 Aug 2025

संसद में हाल ही में पेश किए गए **पीएम और सीएम को हटाने संबंधी बिल** ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। विपक्ष ने इस बिल पर कड़ी नाराजगी जताई है और इसे लोकतंत्र के लिए हानिकारक करार दिया है। विशेष रूप से **टीएमसी (त्रिणमूल कांग्रेस)** ने जेपीसी (संसदीय संयुक्त समिति) पर भरोसा न होने का आरोप लगाते हुए अपनी आपत्ति जाहिर की।

केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्तुत यह बिल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को हटाने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। सरकार का तर्क है कि बिल पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए जरूरी है। इसके अनुसार, अगर कोई पीएम या सीएम संविधान या नियमों का उल्लंघन करता है, तो उन्हें हटाने की प्रक्रिया तेज और प्रभावी होगी।

विपक्ष ने बिल को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। उनका कहना है कि यह बिल सत्ता के केंद्रीकरण को बढ़ावा देता है और विपक्ष की भूमिका को कमजोर कर सकता है। टीएमसी ने विशेष रूप से यह कहा कि **जेपीसी पर भरोसा नहीं** किया जा सकता और इसे सत्ता का हथियार बनाने का प्रयास समझा जा रहा है।

टीएमसी की मुख्य नेता ने कहा:

“[illegible]”

विपक्ष के अन्य बिंदु

1. **सत्ता केंद्रीकरण का खतरा :** विपक्ष ने चेतावनी दी कि बिल के लागू होने से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पद पर अति केंद्रीकृत शक्ति का खतरा बढ़ सकता है।

2. **संवैधानिक प्रक्रिया मे हंस्तक्षेप :** विपक्ष का कहना है कि यह बिल मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों में हस्तक्षेप कर सकता है।
3. **जेपीसी पर भरोसा नहीं:** टीएमसी ने विशेष रूप से जेपीसी पर भरोसा न होने की बात कही और इसे राजनीतिक कारणों से संचालित होने का आरोप लगाया।
4. **लोकतंत्र की रक्षा :** विपक्ष ने कहा कि जनता के अधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस बिल पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए।

सत्तापक्ष ने बिल की आवश्यकता को लोकतंत्र में जवाबदेही बढ़ाने के दृष्टिकोण से बताया। उनका कहना है कि यदि कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नियमों का उल्लंघन करता है, तो प्रक्रिया धीमी नहीं बल्कि तेज होनी चाहिए। सत्तापक्ष ने जोर देकर कहा कि यह बिल संवैधानिक प्रक्रियाओं को मजबूत करेगा।

संसद में इस बिल पर चर्चा जोर-शोर से हुई। विपक्ष ने सवाल उठाए और सुझाव दिए, जबकि सरकार ने यह स्पष्ट किया कि बिल का उद्देश्य केवल पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। चर्चा के दौरान कई सदस्य बिल के संभावित प्रभाव और संवैधानिक मान्यताओं पर बहस करते रहे।

यह बिल और विपक्ष की प्रतिक्रिया राजनीतिक हलचलों को तेज कर सकती है। मीडिया और सामाजिक प्लेटफॉर्म्स पर भी इस पर बहस चल रही है। जनता के बीच इस बिल को लेकर अलग-अलग राय देखने को मिल रही है। विपक्ष ने जनता से अपील की है कि वे संवैधानिक प्रक्रिया और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जागरूक रहें।

विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच इस बिल को लेकर बहस जारी रहेगी। अगले सत्र में इसके पारित होने या संशोधन की संभावना भी बनी हुई है। टीएमसी और अन्य विपक्षी दल जेपीसी और जनता के समर्थन के माध्यम से अपने मुद्दे को उठाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।पीएम और सीएम को हटाने वाले बिल ने संसद में राजनीति की गर्मी बढ़ा दी है। विपक्ष, विशेष रूप से टीएमसी, ने जेपीसी पर भरोसा न होने का आरोप लगाते हुए बिल पर नाराजगी जताई है। यह बिल और इस पर उठे सवाल भारतीय राजनीति में लंबे समय तक चर्चा का विषय बने रह सकते हैं।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.